राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1757, 1758, 1759/2013 .....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयज मैन्यु. कं. लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2016	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री टी.सी.जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यें तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह तीनों अपीलें धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।	

अपील सं.	अवधि	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चाही गयी स्थगन राशि	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
1757/13	11–12	4,13,615	2,00,000	2,13,615
1758/13	12–13	7,69,579	3,80,000	3,89,579
1759/13	13–14	2,01,000	1,00,000	1,01,000

अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27.08.2013 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.08.2013 विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है।

विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि अपीलीय प्राधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 27.08.2013 के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी ने अन्तिम आदेश दिनांक 06.03.2014 को व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया है। अतः यह अपीलें सारहीन हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो जाती है। अतः तीनों अपीलों मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को निष्प्रभावी मानते हुए अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, चूँकि तीनों अपीलों का अन्तिम निर्णय अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया जा चुका है, एवं अन्तिम

निरन्तर.....2

आदेश दिनांक 06.03.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपीलें भी प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो जाती है एवं तीनों प्रकरणों को खारिज किया जाता है।

तीनों स्थगन अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर